न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार ,आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 94/2023
जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2023/144

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.भगवानाराम पुत्र अलसाराम 2.महेन्द्र उर्फ मोटाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी उमरलाई खालसा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.रेखा पुत्री जेठाराम नाबालिग संरक्षक पुनकी पत्नि जेठाराम 2.वदामी पुत्री जेठाराम नाबालिग संरक्षक पुनकी पत्नि जेठाराम 3.इन्द्रा पुत्री जेठाराम 4.जोगाराम पुत्र बाबुराम 5.निम्बाराम पुत्र बाबूराम 6.मांगलीदेवी पत्नि बाबुराम 7.सेलाराम पुत्र बाबुराम जाति मेघवाल निवासी उमरलाई खालसा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री प्रेमराज पंवार अधिवक्ता 4 से 7 एकपक्षीय

:आदेश :

दिनांक– 31.07.2025

1. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण 1.भगवानाराम पुत्र अलसाराम 2.महेन्द्र उर्फ मोटाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी उमरलाई खालसा तहसील पचपदरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 613/431 मौजा उमरलाई खालसा तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 610/430 व 611/430 में से 16 फीट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शा बरंग लाल ए से बी कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री प्रेमराज पंवार द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से वकालतानामा पेश किया गया,साथ ही उक्त विप्रार्थी की तरफ से प्रार्थीगण के आवेदन को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर प्रार्थीगण का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 4 से 7 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट तहसीलदार पचपदरा से तलब की गई,जो शामिल मिसल है।

3. तत्पश्चात् प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 610/430 व 611/430 भूमि में से 16 फीट बरंग लाल चौड़ा रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अंत में निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थीगण को आपति नहीं है। प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।

4. इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योकि प्रार्थीगण की ओर से आवेदित रास्ता का आवागमन के लिए कभी प्रयुक्त नहीं रहा है तथा न ही मौके पर रास्ता के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीगण की ओर से केवलमात्र विप्रार्थी को परेशान करने की नियत से आवेदन पत्र पेश किया गया है। क्योकि प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा संख्या 613/431 के केवलमात्र 75 मीटर की दूरी पर ही सरकारी कटाण रास्ता अवस्थित है,जो रेकर्ड मे भी दर्ज है,जो कि मौका रिपोर्ट मे भी उल्लेखित है,इस कारण विप्रार्थी के खेत मे से रास्ता दिया जाना उचित नही है। नही दिया जा सकता है। विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि प्रार्थीगण की ओर से आवेदित खसरान के अलावा भी रास्ता के विकल्प है। अंत मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

5. हमनें उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौका जांच रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन कियाा तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 610/430 व 611/430 में से

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

16 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। विप्रार्थी संख्या 1 से 3 को छोड़ते हुए विप्रार्थी संख्या 4 से 7 बावजूद नोटिस तामीली के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई है। तहसीलदार पचपदरा ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु तीन विकल्प सहित रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए,जिसके अनुसार :–

6. जिसमें ग्राम उमरलाई खालसा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 613/431 मे आवागमन हेतु खसरा संख्या 611/430 मे से 0.0567 हैक्टयर व खसरा संख्या 610/430 मे से 0.0567 हैक्टयर भूमि रास्ता हेतु प्रस्तावित की गई है,जो निकट व उपयुक्त बताया गया है।

7. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 613/431 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं,अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थीगण आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थीगण द्वारा सिद्व किया गया हैं। तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को अपनी जोत से होकर मुख्य सड़क मार्ग पंहुच तक खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

611/430 व 610/430 मे से प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है,इस कारण प्रस्तावित रास्ता ही दिया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य है।

8. उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 611/430 मे से रकबा 0.0567 हैक्टयर व खसरा संख्या 610/430 मे से 0.0567 हैक्टयर की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी.दर 32,249/–प्रति बीघा की दुगूनी प्रतिकर हेतु देय बनती है,जिसको प्रार्थीगण राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है,अतः हम प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम उमरलाई खालसा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 613/431 में पहुंच हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी खसरा संख्या 610/430 मे से क्षेत्रफल 0.0567 हैक्टयर व विप्रार्थी संख्या 4 से 7 की खातेदारी खसरा संख्या 611/430 मे से क्षेत्रफल 0.0567 हैक्टयर की सार्वजनिक रास्ता हेतु मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शानुसार बरंग लाल भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 14,512/–(अक्षरे चौदह हजार पांच सौ बारह) रूपयें की राशि संबधित खसरान के खातेदारान को हिस्सेनुसार राशि का भुगतान किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। अप्रार्थी प्रतिकर राशि नहीं लिए जाने की दशा में निर्धारित मयाद बाद राजकोष में नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित करावें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

31/07/2025

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 31.07.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

31/07/2025

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा